मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2026 (1 फाल्गुन, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

1. बधाई एवं शुभकामनाएं

आसंदी द्वारा श्री जयंत मलैया एवं श्री केदार चिडाभाई डाबर, सदस्यगण को जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 एवं 9) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 136 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 152 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में उन्नयन किये गये विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान न किये जाने,

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने नर्मदापुरम की नगर पालिका में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा टैक्स वसूली में हेरा-फेरी की जाने,

(3) इंजी.प्रदीप लारिया, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र नरयावली अंतर्गत जिला सागर में स्वीकृत आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य पूर्ण न हो पाने,

(4) श्री महेश परमार, सदस्य ने उज्जैन में कुत्ते के काटने पर मृतक के परिजनो को मुआवजा न मिल पाने,

(5) डॉ राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने ग्राम पंचायत पदमी वि.स. क्षेत्र अमरपाटन के बघेलान टोला में शा.भूमि पर सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,

(6) श्री मधु भगत, सदस्य ने किरनापुर वि.खंड जिला-बालाघाट में नवीन उद्योग लगाये जाने हेतु भूमि आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने उपरांत उद्योगों हेतु विद्युत सबस्टेशन प्रारंभ न हो पाने,

(7) श्री विपीन जैन, सदस्य ने मंदसौर जिले में घोड़ारोज व जंगली सुअरों के आतंक से किसानों की फसलों को नुकसान होने से बचाये जाने,

(8) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने प्रदेश में किसानों की भूमि का नामांतरण न हो पाने,

(9) श्री निलेश पुसाराम उईके, सदस्य ने विधान सभा पांढुर्ना एवं छिन्दवाडा के अंतर्गत नदियों पर पुल निर्माण कार्य में लापरवाही,

(10) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य ने मान. मुख्य मंत्री जी की घोषणा उपरांत भी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर कोई कार्यवाही न की जाने,

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

प्रदेश में विगत दिनों से हो रही वर्षा से फसलों को हुई क्षति की भरपाई संबंधी

श्री भंवरसिंह शेखावत, सदस्य ने आसंदी का ध्यान आकर्षित किया कि अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के अन्दर अप्रत्याशित रुप से कल और परसों के अंदर बारिश हुई है और बारिश के कारण किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है. तेज हवा के साथ में जो गेहूं की फसल है, वह ज्यादा प्रभावित हुई है. इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि जब यह गेहूं का जो कलर है, वह समाप्त हो जायेगा और ऐसा हो गया है. पूरे प्रदेश के किसान परेशान हैं और यह जो गेहूं अब खरीदेगी सरकार, उस तरीके के जो मानक आपने तय किये हैं उप मुख्यमंत्री जी, उसके मुताबिक वह गेहूं रहेगा ही नहीं और आप खरीदेंगे नहीं. किसान और परेशानी में आ जायेगा. मैं शासन से यह मांग करना चाहता हूं कि तुरन्त अपने अमले को लगायें, पटवारियों को भेजें, तहसीलदारों को भेजें, उनका आंकलन करें. जितना नुकसान किसानों का हुआ है, उसकी भरपाई की व्यवस्था करें. सारी फसलें जो हैं, पिछले दो दिन के अन्दर बहुत ज्यादा तादाद में खराब हुई हैं.

इस पर संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन को जानकारी दी कि मेरी जानकारी के अनुसार कल ही मुख्यमंत्री जी ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि जो वर्षा हुई है, उसकी पूरी जानकारी लें, उससे किसी प्रकार की भी कोई नुकसानी हुई है, तो उसकी जानकारी भेजें. मुख्यमंत्री जी बहुत इस मामले में संवेदनशील हैं. हमारी सरकार संवेदनशील है और इसलिये कल रात को ही उन्होंने सारे कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं, मेरी जानकारी के अनुसार. इसलिये कोई भी किसान को चिंता करने की जरुरत नहीं है, यह भाजपा की सरकार है, किसानों की सरकार है और यह किसान वर्ष है. इसलिये किसानों को कहीं पर भी नुकसान नहीं होगा, यह मैं आपसे वादा करता हूँ.

5. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ‘‘आज बजट पर चर्चा होगी जिसके कारण भोजनावकाश नहीं होगा, सभी सदस्यों के लिए भोजन लॉबी में उपलब्ध रहेगा, आप सभी अपनी-अपनी सुविधानुसार भोजन प्राप्त कर सकते है.’’

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(i) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का नगर तथा ग्राम निवेश के प्रबंधन पर प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन 2025 का प्रतिवेदन संख्या-5 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल),

(ii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन 2025 का प्रतिवेदन संख्या-6 (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल),

(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में सड़कों के विकास पर 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन 2025 का प्रतिवेदन संख्या-7 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल),

(iv) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वस्तु एवं सेवा कर पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन 2025 का प्रतिवेदन संख्या-8 (सिविल) एवं

(v) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मार्च, 2023 को समाप्त अवधि हेतु मध्यप्रदेश शासन 2025 का प्रतिवेदन संख्या-9 (खंड-I) एवं प्रतिवेदन संख्या-10 (खंड-II) तथा

(ख) मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 129 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतराज संस्थाओं पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक समेकित संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022,

(ग) दि स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 70 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 एवं

(घ) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 एवं मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 71-क की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक CT/80015/2025-Sec-1-05(CT) (42), दिनांक 05 दिसम्बर, 2025,
(ii) क्रमांक एफ ए-3-04-2019-1-पांच(43), दिनांक 05 दिसम्बर, 2025,
(iii) क्रमांक एफ ए-3-32-2017-1-पांच(44), दिनांक 05 दिसम्बर, 2025,
(iv) क्रमांकCT-8-0019-2025-Sec-1-पांच(CT)(45),दिनांक 05 दिसम्बर, 2025,
(v) क्रमांक एफ ए-3/33/2017/1/पांच(46), दिनांक 05 दिसम्बर, 2025,
(vi) क्रमांक CT/8/0016/2025-Sec-1-05CT(47), दिनांक 05 दिसम्बर, 2025,
(vii) क्रमांक एफ ए-3/26/2019/1/पांच(48), दिनांक 05 दिसम्बर, 2025,
(viii)क्रमांक CT-8-0017-2025-Sec-1-पांच(CT)(49),दिनांक 05 दिसम्बर, 2025,
(ix) क्रमांक CT-8-0018-2025-Sec-1-पांच (CT) (50),दिनांक 05 दिसम्बर, 2025,
(x) क्रमांक एफ-ए-6-17-2015-1-पांच, दिनांक 15 जनवरी, 2026,
(xi) क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (01), दिनांक 30 जनवरी, 2026,
(xii) क्रमांक CT/8/0018/2023-Sec-1-05(CT)(02),दिनांक 30 जनवरी, 2026 एवं
(xiii) क्रमांक CT/8/0001/2026-Sec-1-05 (CT) (03), दिनांक 30 जनवरी, 2026 पटल पर रखे गए.

(2) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा गया.

7. स्थगन प्रस्ताव

इंदौर शहर के भागीरथपुरा एवं आसपास के क्षेत्रों में दूषित पेयजल पीने से लोगों की मृत्य होने संबंधी

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि इंदौर शहर के भागीरथपुरा एवं आसपास के क्षेत्रों में दूषित पेयजल पीने से लोगों की मृत्य होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव की 10 सूचनाएं प्राप्त हुई है. चूंकि पहली सूचना श्री उमंग सिंघार की है इसलिए मैं इसे पढकर सुनाता हूँ.

8. अध्यक्षीय व्यवस्था

बजट सत्र के दौरान स्थगन प्रस्ताव नहीं लिये जाने संबंधी

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – सामान्य तौर पर बजट के दौरान स्थगन प्रस्ताव नहीं लिये जाते हैं, यह परम्परा रही है. चूंकि यह मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन भी है, अर्थात सबज्युडिश है. सामान्यतः ऐसे विषय स्थगन प्रस्ताव में नियमानुसार ग्राह्य नहीं किये जाते हैं. विषय वस्तु की गंभीरता एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं सदस्यों की भावना को देखते हुए, माननीय सदन के नेता मुख्यमंत्री जी की सहमति से, इस विषयवस्तु को प्रस्तुत करने की अनुमति दी है.

तदुपरांत नगरीय विकास एवं आवास मंत्री द्वारा शासन का पक्ष रखा गया.

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता की चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(1) श्री उमंग सिंघार
(2) श्री लखन घनघोरिया
(3) श्री जयवर्द्धन सिंह
(4) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव
(5) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे

9. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् व्यवस्था दी गई कि स्थगन प्रस्ताव का जो विषय किसी जांच आयोग के पास विचाराधीन है उसे सभा में नहीं लिया जा सकता. अत: मैं इसको स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ.

10.अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि- "आज की कार्यसूची में 10 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुये सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम 2 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा गया माना जाएगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जाएगी । उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा। पहले क्रमांक- (1) से (2) तक की सूचनाएं ली जाएंगी।"

स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य न किये जाने के विरोध में व्यवधान की स्थिति निर्मित होने पर विधान सभा की कार्यवाही अपराह्न 01.35 बजे से 10 मिनिट तक के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 01.53 बजे पुन: समवेत हुई.

{सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनीस) पीठासीन हुईं }

11. अध्यक्षीय घोषणा

सभापति महोदया द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि – आज की कार्यसूची में सम्मिलित अशासकीय कार्य आय व्ययक पर सामान्य चर्चा के बाद माननीय उप मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री जी के भाषण के पश्चात् लिये जायेंगे.

12. बहिर्गमन

श्री उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा न कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.

13. ध्यानाकर्षण

(1) **श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य** ने छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम अम्बाड़ा निवासी गुमशुदा नाबालिग बच्चियों की तलाश हेतु विशेष पुलिस दल का गठन कर उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे सदस्य ने भी चर्चा मे भाग लिया.

(2) **सर्वश्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह (बृजेन्द्र सिंह यादव, साहब सिंह गुर्जर) सदस्य** ने ग्वालियर जिले के अंतर्गत राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कर प्रक्रिया निरस्त किये जाने की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. श्री पंकज उपाध्याय सदस्य ने भी चर्चा मे भाग लिया.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

14. ध्यानाकर्षण एवं अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि "कार्यसूची के पद 4 के उप पद (3) से (10) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा संबंधित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े गए माने जाएंगे" -

तद्नुसार -

(3) **श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य** ने प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, स्थाई कर्मियों एवं कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान व सुविधा न दिये जाने संबंधी सूचना तथा उप मुख्यमंत्री (वित्त) का वक्तव्य.

(4) **डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य** ने बाण सागर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित भूमि/भूखण्ड की रजिस्ट्री सरकार द्वारा कराये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

(5) **श्री मोंटू सोलंकी, सदस्य** ने जिला धार के बाग थाना प्रभारी द्वारा छात्रों पर दर्ज असत्य प्रकरण के खात्मे की कार्यवाही किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य.

(6) **श्री विजय रेवनाथ चौरे, सदस्य** ने प्रदेश में किसानों को सोलर पम्प योजना के अंतर्गत 90 प्रतिशत सब्सिडी न मिलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(7) **सर्वश्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सचिन सुभाषचंद्र यादव, सदस्य** ने सतना जिले सहित प्रदेश में धान मिलिंग नीति में अपग्रेडेशन राशि के आदेश लंबित रहने से राईस मिल उद्योग बंद होने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य.

(8) **सर्वश्री संजय उइके, उमंग सिंघार, सदस्य** ने वनाधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकार के मान्यता दावे के प्रकरणों पर रोक लगाये जाने संबंधी सूचना तथा जनजातीय कार्य मंत्री का वक्तव्य.

(9) **श्री महेश परमार, सदस्य,** जिला शिक्षा केन्द्र उज्जैन द्वारा कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान जमा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य एवं

(10) **श्री भगवानदास सबनानी, सदस्य** ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल भोपाल द्वारा "लुम्बनी परिसर" के फ्लेट्स को सीएससी एमएलसी सर्विस टैक्स से विशेष छूट प्रदाय किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य

पढ़े हुए माने गए.

15. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री दिलीप सिंह परिहार, सभापति ने कृषि विकास समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

16. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **श्री दिनेश राय मुनमुन (जिला-**सिवनी)
(2) **श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-**मण्डला)
(3) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-**कटनी)
(4) **श्री अनिल जैन (निवाड़ी) (जिला-**निवाड़ी)
(5) **सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती) (जिला-**छतरपुर)
(6) **श्री प्रहलाद लोधी (जिला-**पन्ना)
(7) **श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी (जिला-**मैहर)
(8) **श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-**अनूपपुर)
(9) **श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-**छिंदवाड़ा)
(10) **डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान (जिला-**उज्जैन)
(11) **श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-**भोपाल)
(12) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-**खरगोन)
(13) **श्री मोंटू सोलंकी (जिला-**बड़वानी)
(14) **श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-**सागर)
(15) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-**अनूपपुर)
(16) **श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-**धार)
(17) **श्री कैलाश कुशवाह (जिला-**शिवपुरी)
(18) **श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-**शहडोल)
(19) **श्री केदार चिड़ाभाई डावर (जिला-**खरगोन)
(20) **डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-**ग्वालियर)
(21) **श्री विपीन जैन (जिला-**मंदसौर)
(22) **श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-**अलीराजपुर)
(23) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-**निवाड़ी)
(24) **श्री राजेन्द्र भारती (जिला-**दतिया)
(25) **श्री फूलसिंह बरैया (जिला-**भोपाल)
(26) **श्रीमती अनुभा मुंजारे (जिला-**बालाघाट)

(27) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(28) श्री भैरो सिंह बापू (जिला-शाजापुर)
(29) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(30) श्री मथुरालाल डामर (जिला-रतलाम)
(31) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-शाजापुर
(32) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-पन्ना)
(33) श्री कालु सिंह ठाकुर (जिला-धार)
(34) श्री अरविन्द पटैरिया (जिला-छतरपुर)
(35) श्री राजेश कुमार शुक्ला (जिला-छतरपुर)
(36) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(37) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(38) श्री श्याम बरडे (जिला-बड़वानी)
(39) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(40) श्री पंकज उपाध्याय (जिला-मुरैना)
(41) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच
(42) कुँवर अभिजीत शाह (जिला-हरदा)
(43) श्री केशव देसाई (जिला-भिण्ड)
(44) श्री मोहन सिंह राठौर (जिला-ग्वालियर)
(45) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-सीहोर)
(46) श्री सुनील उईके (जिला-छिंदवाड़ा)
(47) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(48) श्री राजकुमार मेव (जिला-खरगोन)
(49) श्री राजन मण्डलोई (जिला-बड़वानी)
(50) श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला-ग्वालियर)
(51) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(52) श्री बृज बिहारी पटैरिया (जिला-सागर)
(53) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(54) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
(55) श्री हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(56) श्री मोहन शर्मा (जिला-राजगढ़)
(57) श्री देवेन्द्र रामनारायन सखवार (जिला-मुरैना)
(58) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(59) श्री सचिन बिरला (जिला-खरगोन)
(60) श्री विवेक विक्की पटेल (जिला-बालाघाट)
(61) डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला-जबलपुर)
(62) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा (जिला-नर्मदापुरम)
(63) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(64) श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-रतलाम)
(65) श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-पन्ना)
(66) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उइके (जिला-बैतूल)
(67) श्रीमती कंचन मुकेश तनवे (जिला-खण्डवा)
(68) श्री प्रदीप पटेल (जिला-मऊगंज)
(69) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(70) श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-बालाघाट)
(71) श्री दिनेश जैन बोस (जिला-उज्जैन)
(72) श्री देवेन्द्र पटेल (जिला-रायसेन)
(73) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)

(74) **श्री अभय मिश्रा (जिला-रीवा)**

17. वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2026 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर प्रारंभ हुई सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री जयंत मलैया

{सभापति महोदय (श्री लखन घनघोरिया) पीठासीन हुए}

(2) डॉ. राजेन्द्र कुमर सिंह

{सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनीस) पीठासीन हुईं}

(3) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(4) श्री गौरव सिंह पारधी
(5) श्री नीरज सिंह ठाकुर
(6) श्री अभय मिश्रा
(7) श्रीमती रीती पाठक

18. अध्यक्षीय घोषणा

सदन की लॉबी में चाय की व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ‘‘माननीय सदस्यों के लिये चाय की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्य सुविधानुसार चाय ग्रहण करने का कष्ट करें.’’

{सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनीस) पीठासीन हुईं}

19. वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

(8) श्री फूलसिंह बरैया

{अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए}

20. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि, ‘‘आज की कार्यसूची में सम्मिलित विषयों के पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.’’

21. वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

(9) श्री ओप्रकाश सखलेचा
(10) श्री नारायण सिंह पट्टा
(11) श्री पंकज उपाध्याय

(12) श्री दिनेश जैन
(13) श्री लखन घनघोरिया

22. अशासकीय संकल्प एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – अब अशासकीय संकल्प लिये जायेंगे. कुल 3 अशासकीय संकल्प हैं, डॉ. सीतासरन शर्मा, डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह और श्रीमती अर्चना चिटनीस. तीनों संकल्पों का प्रकार भी एक है और जवाब देने का विभाग भी एक है, मुझे लगता . है कि पहले तीनों माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करें और उसके पक्ष में अपनी बात भी कह दें और उसके बाद मंत्री जी एक साथ उसका जवाब दे देंगे.

{सभापति महोदय (श्री लखन घनघोरिया) पीठासीन हुए}

(1) **डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य** ने “यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि "इटारसी-भोपाल के मध्य मेमो ट्रेन प्रारंभ की जाये.” संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया. इस पर हुई चर्चा में श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री द्वारा इस संकल्प पर उत्तर दिया गया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ

(2) **डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य** ने “यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि "रीवा से अमरपाटन होते हुये मैहर एवं कटनी से रामनगर, जिला मैहर को जोड़ते हुए सीधी, सिंगरौली तक नई रेल्वे लाईन का निर्माण किया जाये.” संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया. इस पर हुई चर्चा में श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री द्वारा इस संकल्प पर उत्तर दिया गया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ

(3) **श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य** ने “यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि "भोपाल से भुसावल के मध्य नई ट्रेन अथवा मेमू ट्रेन प्रारंभ की जाये.” संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया. इस पर हुई चर्चा में श्री राकेश सिंह, लोक निर्माण मंत्री द्वारा इस संकल्प पर उत्तर दिया गया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ

अपराह्न 07:24 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2026 (4 फाल्गुन, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक: 20 फरवरी, 2026